न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी :– सुरेश कुमार बलाई (आर.ए.एस)

वाद संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
145 / 24	16.07.2024	07.07.2025

बउनवान

1. संतोष देवी पुत्री मूर्ति देवी पत्नि शेरसिंह निवासी खानपुर अहीर तहसील मुण्ड़ावर हाल निवासी पालपुर की ढाणी तह0 हरसौली।
2. कृष्ण देवी पुत्री मूर्ति देवी पत्नि जसवन्त निवासी खानपुर अहीर तहसील मुण्डावर हाल निवासी पालपुर की ढाणी तह0 हरसौली।
3. विधा देवी पुत्री मूर्ति देवी पत्नि सत्यवीर निवासी खानपुर अहीर तहसील मुण्डावर हाल निवासी बिछाला तह0 तिजारा।
4. सुनीता देवी पुत्री मूर्ति देवी पत्नि नरपाल निवासी खानपुर अहीर तहसील मुण्डावर हाल निवासी बिछाला तह0 तिजारा।
5. सरला देवी पुत्री मूर्ती देवी पत्नि मनोहर निवासी खानपुर अहीर हाल निवासी गुनसार तह0 कोटकासिम।
6. सुशीला देवी पुत्री मूर्ति देवी पत्नि मेहरचन्द निवासी खानपुर अहीर तहसील मुण्डावर हाल निवासी गुनसार तह0 कोटकासिम।
7. अनिता देवी पुत्री मूर्ति देवी पत्नि मनोज निवासी खानपुर अहीर तहसील मुण्डावर हाल निवासी तिगावाकाजी तह0 हरसौली।
8. सरोज़ पुत्री मूर्ति देवी पत्नि कृष्ण कुमार निवासी खानपुर अहीर तहसील मुण्डावर हाल निवासी तिगावाकाजी तह0 हरसौली।

:– वादी

बनाम

1. मनीष पुत्र होशियार निवासी खानपुर अहीर तह0 मुण्डावर।
2. मूर्ती पुत्री रामलाल पत्नि नानगराम निवासी जालावास हाल खानपुर तह0 मुण्डावर।
3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
4. श्रीमान उप पंजियक महोदय मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

प्रतिवादीगण

दावा इश्तकारहक मय दूरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

श्री अंशोक चौधरी :– वकील वादी

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

वादीगण ने अपने वाद पत्र का सार इस प्रकार है कि

1. यह है कि आराजी हाल ख0नम्बरान 1067 रकबा 0.12 है0, 1068 रकबा 0. 13 है0, 156 रकबा 0.22 है0, 157 रकबा 0.23 है0, 522 रकबा 0.22 है0, 523 रकबा 0. 14 है0, 558 रकबा 0.02 है0, 559 रकबा 0.11 है0, 934 रकबा 0.21 है0, 939 रकबा 0.15 है0, 1192 रकबा 0.33 है0, 1199 रकबा 0.08 है0, 1200 रकबा 0.06 है0, 1201 रकबा 0.11 है0, 270 रकबा 0.09 है0, 271 रकबा 0.33 है0, 429 रकबा 0.11 है0, 44 रकबा 0.28 है0, 45 रकबा 0.19 है0, 581 रकबा 0.01 है०. 583 रकबा 0.01 है0, 584 रकबा 0. 18 है0, 585 रकबा 0.06 है0, 587 रकबा 0.01 है0, 877 रकबा 0.08 है0, 905 रकबा 0.27 है0, 906 रकबा 0.13 है०, वाके ग्राम जालावास तह0 मुण्डावर में स्थित है, जो आराजी इस वाद में विवादित आराजी कहलायेगी।
2. यह है कि आराजी हाल ख० नम्बरान 1067 रकबा 0.12 है0 के गत ख0 न0 940 रकबा 10 बिस्वा व हाल ख0न0 1068 रकबा 0.13 है0 के गत ख0न0 941 रकबा 10 बिस्वा ख0न0 156 रकबा 0.22 है0, के गत ख0न0 144 रकबा 17 बिस्वा हाल ख0न0 157 रकबा 0.23 है0, के गत ख0न0 145 रकबा 18 बिस्वा हाल ख0न0 522 रकबा 0.22 है० के गत ख0न0 477 रकबा 17 बिस्वा ख0न0 523 रकबा 0.14 हैक०, के गत ख0न0 478 रकबा 11 बिस्वा व हाल ख0न0 558 रकबा 0.02 हैक०, के गत ख0न0 511 रकबा 2 बिस्वा व हाल ख0न0 559 रकबा 0.11 हैक०, के गत ख0न0 512 रकबा 9 बिस्वा व हाल ख0न0 934 रकबा 0.21 हैक0, के गत ख०न० 825 रकबा 17 बिस्वा व हाल ख0न0 939 रकबा 0.15 है०, के गत ख०न० 830 रकबा 12 बिस्वा हाल ख0न0 1192 रकबा 0.33 है०, के गत ख0न0 1059 रकबा 1 बिघा 6 बिस्वा व हाल ख0न0 1199 रकबा 0.8 है0 के गत ख0न0 1066 रकबा 6 बिस्वा व हाल ख0न0 1200 रकबा 0.06 है०, के गत ख0न0 1067 रकबा 5 बिस्वा व हाल ख0न0 1201 रकबा 0.11 है0 के गत ख0न0 1068 रकबा 9 बिस्वा व हाल ख0न0 270 रकबा 0.09 है०, के गत ख0न0 251 रकबा 7 बिस्वा हाल ख0न0 271 रकबा 0.33 है०, के गत ख०न० 252 रकबा 1 बिघा 6 बिस्वा व हाल ख0न0 429 रकबा 0.11 है० के गत ख०न० 399 रकबा 9 बिस्वा व हाल ख०न0 44 रकबा 0.28 है0 के गत ख0न0 39 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा व हाल ख०न० 45 रकबा 0.19 है०, के गत ख०न० 40 रकबा 15 बिस्वा व हाल ख0न0 581 रकबा 0.01 है0 के गत ख0न0 1206/532 मिन रकबा 0.02 है०, व हाल ख0 न0 583 रकबा 0.01 हैक0 के गत ख0न0 1206/532 मिन रकबा 0.02 हाल ख0न0 584 रकबा 0.18 है0, के गत ख0न0 533 रकबा 14 बिस्वा हाल ख0न0 585 रकबा 0.06 है०, के गत ख0न0 1208/534 मिन रकबा 0.07 हैक० व हाल ख0न0 587 रकबा 0. 01 हैक०, के गत ख0न0 1208/534 रकबा 0.07 व

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

हाल ख०न० 877 रकबा 0.08 हैक्0, के गत ख0न0 773 रकबा 6 विघा, व हाल ख0न0 905 रकबा 0.27 हैक्0, के गत 798 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा व हाल ख0न0 906 रकबा 0.13 हैक्0 के गत ख०न० 799 रकबा 10 बिस्वा से सैटलमेन्ट विभाग द्वारा पैमूद किये गये है।

3. यह है कि उक्त विवादित आराजी मिन वादीगण की पैत्रिक दादालाई की आराजी रही है, जो आराजी प्रतिवादी स0 2 को श्रवण उर्फ शुसन से विरास्त इन्तकाल स० 513 के जरियें प्राप्त हुई थी। जिस आराजी में मिन वादीगण के हक व अधिकार निहित है। मिन वादीगण के खानदान का सजरा निम्न प्रकार पेश है।

श्रवण उर्फ शुसन पत्नि रामलाल (फौत)

मिश्री (पुत्री) | सोना पुत्री | मूर्ति देवी पुत्री

संतोष देवी पुत्री | होशियार पुत्र (फौत) | विधा पुत्री | सुनिता पुत्री | सरला पुत्री | सुशीला पुत्री | अनिता पुत्री | सरोज पुत्री

मनीष पुत्र (होशियार का) | कृष्णा पुत्री

4. यह है कि प्रतिवादी स0 2 वृद्ध व जाईफ उम्र की महिला है जिसके सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो चुकी है जो अपना व परिवार का भला बुरा समझने में असमर्थ है जिसका बेजा फायदा उठाकर, प्रतिवादी सं० 1 ने मूर्ती को अपने बहकावे में लेकर, दिनांक 21/7/2023 को विवादित आराजी का तन्हा दानपत्र पुस्तक स० 1 जिल्द स0 605 में पृष्ठ स0 185 कम स० 202303252102093 व अतिरिक्त पुस्तक सं0 1 जिल्द स0 2080 के पृष्ठ0 273 से 280 पर चस्पा है उसे उप पजियक कार्यालय मुण्डावर से अपने नाम तस्दीक करा लिया, तथा दानपत्र के आधार पर राजस्व रिकॉड में अपने नाम का अंकन दर्ज व मन्जूर करा लिया, जबकी मूर्ती देवी को पैत्रिक दादालाई की आराजी सम्पूर्ण का दानपत्र करने का कोई हक व अधिकार नही था तथा विवादित आराजी में मूर्ती का मात्र 1/6 भाग रहा है, लेकिन मूर्ती देवी ने राजस्व रिर्कोड में दर्ज अपने नाम का बेजा फायदा उठाकर, अपने सम्पूर्ण हिस्सा का दानपत्र प्रतिवादी सं0 1 के बहकावे में आकर, प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज व मन्जूर करा दिया है, इसलिए मिन वादी दानपत्र दिनांक 21/7/2023 को अपने हक व हिस्से तक बातिल व बेअसर करार दिलाकर, अपने आपकों विवादित आराजी में 1/9–1/9

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

भाग की खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी है। इसलिए दावा इश्तकरारहक मय दूरुस्ती पेश करना लाजिमी आया है।

5. यह है कि मिन वादीगण को उक्त दानपत्र की कतई जानकारी नहीं रही है, मिन वादीगण अपने ससुराल में रहती है तथा समय समय पर आकर अपने हिस्से की आराजी को सम्भालती रही है। लेकन अब दिनांक 25/6/2024 को वादीगण अपने हिस्से की आराजी पर काश्त कार्य करने आई तो प्रतिवादी सं0 1 ने आकर मिन वादीगण के काश्त कार्य में मजाहमत पैदा किया तथा मिन वादीगण को आराजी से बेदखल करने का प्रयास किया जिस पर मिन वादीगण ने मना किया तो प्रतिवादी सं0 1 ने ऐलानिया तौर पर कहा कि हमने मूर्ती देवी से मैने जरीये दान पत्र दिनांक 21/7/2023 के अपने नाम दर्ज करा ली है। अब में तुम्हे आराजी में काश्त नहीं करने दूगा। जिस पर मिन वादीगण ने दानपत्र की नकल प्राप्त कर, प्रतिवादी सं0 1 से राजस्व रिकॉड दूरुस्त कराने बाबत कहा तो प्रतिवादी सं0 1 ने साफ मना कर दिया, बस यही वाद हेतु बिनायदावी व बिनायमुखास्मत पैदा होकर दावा अन्दर अवधि पेश है।

6. यह है कि विवादित आराजी राजस्व रिर्कोड में मूर्ती देवी पुत्री रामलाल के नाम दर्ज रही थी, तथा आराजी पैत्रिक आराजी है, जो जरियें विरास्त मूर्ती को प्राप्त हुई है। जिस आराजी में मिन वादीगण के हक हकूक बाई बर्थ निहित है तथा मूर्ती देवी, प्रतिवादी स0 1 के बहकावे में आकर, आराजी का रजिर्स्टड दानपत्र प्रतिवादी सं0 1 हक में करा दिया है, जबकी आराजी पैत्रिक होने के कारण सुविधा का सन्तुलन व बैलेंस ऑफ कन्वीनेंस मिन वादीगण के पक्ष में आयद वो साबित है तथा यदि वाकई प्रतिवादी सं0 1 दानपत्र के आधार पर विवादित आराजी से वादीगण को बेदखल कर दिया या आराजी को दिगर लोगों को मुन्तकिल कर दिया तो मिन वादीगण को पैत्रिक आराजी से महरूम होना पडेगा, जिससे मिन वादी को नापूर्ती होने वाली क्षति होगी, जिसकी पूर्ती किसी भी प्रकार से रूपयै पैसों में नहीं आंकी जा सकेगी तथा दावा करना ही बैमायना हो जावेगा। चूँकि मिन वादी के अधिकार कानून द्वारा रक्षित है। इसलिए मिन वादी अपने अधिकारों की रक्षार्थ प्रतिवादीगण सं0 1 को हु० ई० दवामी से पाबन्द कराने के अधिकारी है। इसलिए दांवा हु0 ई0 दवामी पेश करना लाजिमी आया है।

वादी ने अपने वाद पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि

अतः वाद वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावे।

(अ) यह है कि डिकी इश्तकरारहक मय दूरूस्ती इस अमर की पारित की जाकर मिन वादीगण को मूर्ती देवी पुत्री रामलाल के नाम दर्ज रही

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

आराजी हाल ख० नम्बरान 1067 रकबा 0.12 है0, 1068 रकबा 0.13 है0, 156 रकबा 0.22 है0, 157 रकबा 0.23 है0, 522 रकबा 0.22 है0, 523 रकबा 0.14 है0, 558 रकबा 0.02 है0, 559 रकबा 0.11 है0, 934 रकबा 0.21 है0, 939 रकबा 0.15 है0, 1192 रकबा 0.33 है0, 1199 रकबा 0.08 है0, 1200 रकबा 0.06 है0, 1201 रकबा 0.11 है0, 270 रकबा 0.09 है0, 271 रकबा 0.33 है0, 429 रकबा 0.11 है0, 44 रकबा 0.28 है0, 45 रकबा 0.19 है०, 581 रकबा 0.01 है0, 583 रकबा 0.01 है0, 584 रकबा 0.18 है0, 585 रकबा 0.06 है0, 587 रकबा 0.01 है0, 877 रकबा 0.08 है0, 905 रकबा 0.27 है0, 906 रकबा 0.13 है0, वाके ग्राम जालावास तह० मुण्डावर का 1/9–1/9 भाग का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे, व इसी प्रकार से राजस्व रिर्कोड में मिन वादीगण के नाम का अमल दरामद किया जाकर, प्रतिवादी सं0 1 का नाम मिन वादीगण के हिस्से तक हजफ किया जाकर राजस्व रिर्कोड दूरूस्त फरमाया जावे।

(ब) यह है कि प्रतिवादी सं0 1 बिना कब्जा लिये ही मूर्ती के वृद्ध अवस्था का लाभउठाकर, जो दानपत्र दिनांक 21/7/2023 को पुस्तक स0 1 जिल्द स0 605 में पृष्ठ स0 185 क्रम स0 202303252102093 व अतिरिक्त पुस्तक स0 1 जिल्द स0 2080 के पृष्ठ स0 273 से 280 पर चस्पा है तथा उक्त दानपत्र के आधार पर प्रतिवादी सं० 1 के नाम दर्ज इन्तकाल को मिन वादीगण के हक हकूकों तक बातिल व बेअसर करार दिया जावे।

(स) यह है कि डिकी हु0 ई0 दवामी से प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि वो वाद पत्र के पैरा सं० 1 में वर्णीत आराजी को कही रहन, बैय, हिबा इत्यादि से मुन्तकिल ना करे, ना ही मिन वादीगण को आराजी से बेदखलकर कब्जा करे, ना ही किसी भी प्रकार से मिन वादी के काश्त कार्य मे मजाहमत पैदा करे व रिर्कोड की यथास्थिति बनाये रखे।

(द) यह है कि खर्चा मुकदमा मिन वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

वादी का वाद को दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण की विधिवत रूप से तामिल करवाई गई, प्रतिवादीगण की विधिवत रूप से तामिल होने के बाद अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य पीडब्लू –1 सन्तोष देवी, पीडब्लू –2 विनोद कुमार, पीडब्लू –3 जगदीश प्रसाद के शपथ पत्र पेश किये गये व दस्तावेजात् प्रदर्श – 1 दान पत्र दिनांक 21.07.2023, प्रदर्श–2 हाल जमाबन्दी किता 2, प्रदर्श–3 मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2071, प्रदर्श– 4 इन्तकाल संख्या

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

513 दिनांक 11.08.2000, प्रदर्श–5 जमाबन्द सम्वत 2063 किता 2, प्रदर्श–6 जमाबन्दी सम्वत 2051 किता 2, प्रदर्श–7 जमाबन्दी सम्वत 2059 पेश किये।

वादी वकील ने लिखित बहस पेश की। जो पत्रावली शामिल है।

पत्रावली, वादी के वाद के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व वादी अधिवक्ता की लिखित बहस पर मनन करने पर विवेचन इस प्रकार है कि प्रदर्श–4 के अनुसार विरासत इन्तकाल शुसन बेवा रामलाल से मिश्री, सोना, मूर्ति पुत्रीयान रामलाल के नाम से अमल दरामद हुआ था। प्रदर्श–1 के अनुसार मूर्ति देवी ने प्रतिवादी संख्या 01 मनीष को दानपत्र कराया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार यदी किसी व्यक्ति को सम्पति पूर्वजो (दादालाई) से प्राप्त हुई है तो वह अपने हिस्से में अधिक रहन बय से मुन्तकिल नही कर सकते है। जबकी मूर्ति देवी द्वारा अपने हिस्से से अधिक का दानपत्र कर दिया गया। जो विधि विरूद्ध है। इसलिए मूर्तिदेवी द्वारा किये गये दानपत्र दिनांक 21.07.2023 में से मूर्तिदेवी के हिस्से को प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्से में समायोजित कर शेष दानपत्र को नल एण्ड बाईड (शुन्य) घोषित कर वादीगण को 4/5 सम्भाग व प्रतिवादी संख्या 01 को 1/5 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित समझता है।

निर्णय

वाद वादी के उक्त विवेचन के अनुसार न्यायालय वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाता है, वाके ग्राम जालावास तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0 के आराजी हाल ख0 नम्बरान 1067 रकबा 0.12 है0, 1068 रकबा 0.13 हैक्0, 156 रकबा 0.22 है0, 157 रकबा 0.23 है0, 522 रकबा 0.22 है0, 523 रकबा 0.14 है0, 558 रकबा 0.02 है0, 559 रकबा 0.11 है0, 934 रकबा 0.21 है0, 939 रकबा 0.15 है0, 1192 रकबा 0.33 है0, 1199 रकबा 0.08 है0, 1200 रकबा 0.06 है0, 1201 रकबा 0.11 है0, 270 रकबा 0.09 है0, 271 रकबा 0.33 है0, 429 रकबा 0.11 है0, 44 रकबा 0.28 है0, 45 रकबा 0.19 है०, 581 रकबा 0.01 है0, 583 रकबा 0.01 है0, 584 रकबा 0.18 है0, 585 रकबा 0.06 है0, 587 रकबा 0.01 है0, 877 रकबा 0.08 है0, 905 रकबा 0.27 है0, 906 रकबा 0.13 हैक0 में मूर्तिदेवी द्वारा किये गये दानपत्र दिनांक 21.07.2023 में से मूर्तिदेवी के हिस्से को प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्से में समायोजित कर शेष दानपत्र को नल एण्ड बाईड (शुन्य) करार कर वादीगण संख्या 01 लगायत 08 को 4/5 सम्भाग व प्रतिवादी संख्या 01 को 1/5 भाग का खातदेार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार मुण्डावर उपरोक्तानुसार राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

रिकोर्ड में अमल दरामद किया जावें। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 07.07.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

(सुरेश कुमार बलाई)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी :– सुरेश कुमार बलाई (आर.ए.एस)

वाद संख्या	दायर दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
145/24	16.07.2024	07.07.2025

बउनवान

1. संतोष देवी पुत्री मूर्ति देवी पत्नि शेरसिंह निवासी खानपुर अहीर तहसील मुण्डावर हाल निवासी पालपुर की ढाणी तह0 हरसौली।
2. कृष्ण देवी पुत्री मूर्ति देवी पत्नि जसवन्त निवासी खानपुर अहीर तहसील मुण्डावर हाल निवासी पालपुर की ढाणी तह0 हरसौली।
3. विधा देवी पुत्री मूर्ति देवी पत्नि सत्यवीर निवासी खानपुर अहीर तहसील मुण्डावर हाल निवासी बिछाला तह0 तिजारा।
4. सुनीता देवी पुत्री मूर्ति देवी पत्नि नरपाल निवासी खानपुर अहीर तहसील मुण्डावर हाल निवासी बिछाला तह0 तिजारा।
5. सरला देवी पुत्री मूर्ती देवी पत्नि मनोहर निवासी खानपुर अहीर हाल निवासी गुनसार तह0 कोटकासिम।
6. सुशीला देवी पुत्री मूर्ति देवी पत्नि मेहरचन्द निवासी खानपुर अहीर तहसील मुण्डावर हाल निवासी गुनसार तह0 कोटकासिम।
7. अनिता देवी पुत्री मूर्ति देवी पत्नि मनोज निवासी खानपुर अहीर तहसील मुण्डावर हाल निवासी तिगावाकाजी तह0 हरसौली।
8. सरोज पुत्री मूर्ति देवी पत्नि कृष्ण कुमार निवासी खानपुर अहीर तहसील मुण्डावर हाल निवासी तिगावाकाजी तह0 हरसौली।

:– वादी

बनाम

1. मनीष पुत्र होशियार निवासी खानपुर अहीर तह0 मुण्डावर।
2. मूर्ती पुत्री रामलाल पत्नि नानगराम निवासी जालावास हाल खानपुर तह0 मुण्डावर।
3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
4. श्रीमान उप पंजियक महोदय मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

प्रतिवादीगण

दावा इश्तकारहक मय दूरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

—: पर्चा डिक्री :—

वादी की ओर से **श्री अशोक चौधरी एडवोकट व** प्रतिवादी की अनुपस्थिति में इस वाद में **आज दिनांक 07.07.2025** को **श्री सुरेश कुमार बलाई, उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश हुआ। वादी के वाद को **पर्चा डिक्री किये जाने के आदेश दिये जाते है :—**

वाके ग्राम जालावास तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0 के आराजी हाल ख0 नम्बरान 1067 रकबा 0.12 है0, 1068 रकबा 0.13 हैक0, 156 रकबा 0.22 है0, 157 रकबा 0.23 है0, 522 रकबा 0.22 है0, 523 रकबा 0.14 है0, 558 रकबा 0.02 है0, 559 रकबा 0.11 है0, 934 रकबा 0.21 है0, 939 रकबा 0.15 है0, 1192 रकबा 0.33 है0, 1199 रकबा 0.08 है0, 1200 रकबा 0.06 है0, 1201 रकबा 0.11 है0, 270 रकबा 0.09 है0, 271 रकबा 0.33 है0, 429 रकबा 0.11 है0, 44 रकबा 0.28 है0, 45 रकबा 0.19 है०, 581 रकबा 0.01 है0, 583 रकबा 0.01 है0, 584 रकबा 0.18 है0, 585 रकबा 0.06 है0, 587 रकबा 0.01 है0, 877 रकबा 0.08 है0, 905 रकबा 0.27 है0, 906 रकबा 0.13 हैक0 में मूर्तिदेवी द्वारा किये गये दानपत्र दिनांक 21.07.2023 में से मूर्तिदेवी के हिस्से को प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्से में समायोजित कर शेष दानपत्र को नल एण्ड बाईड (शुन्य) करार कर वादीगण संख्या 01 लगायत 08 को 4/5 सम्भाग व प्रतिवादी संख्या 01 को 1/5 भाग का खातदेार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार मुण्डावर उपरोक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया जावें। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 07.07.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (खैरथल-तिजारा)

(सुरेश कुमार बलाई)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

Scanned with OKEN Scanner